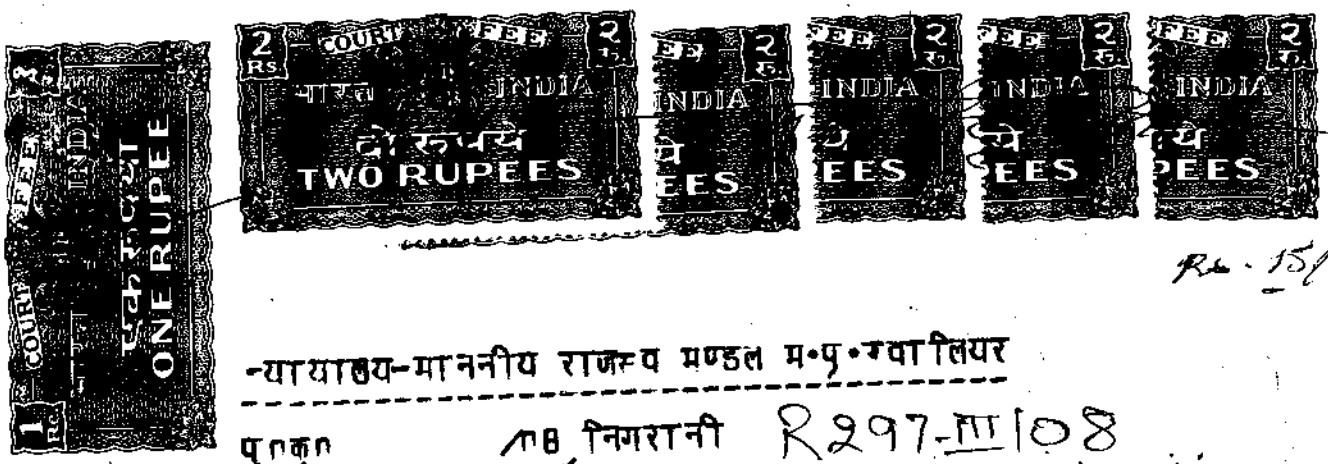

Rs. 15/-

न्यायालय-माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क्र. /08 निगरानी R297-III/08

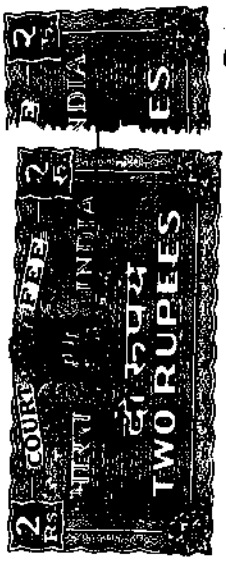

फौत विलोपित राजमणी पुत्र अयोध्या प्रसाद कुशवाह आयु-61 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी ग्राम भाजन रकबा तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा ----आवेदक.

बनाम

1- देवकरण पुत्र केशाहू कुशवाह
2- रामस्वरूप पुत्र जमुना कुशवाह
3- शिवप्रसाद पुत्र रामस्वरूप कुशवाह
4- रामबहादुर पुत्र रामस्वरूप कुशवाह

------अनावेदकगण.

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 9.6.16 के अनुसार संशोधन किया।
(1) सत्यभान कुशवाह
(2) त्रिवेणी प्रसाद कुशवाह
(3) सूरज प्रसाद कुशवाह
पुत्रगण स्व. श्री राजमणी कुशवाह निवासी भोजन रकबा, सिरमौर जिला रीवा

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग जो कि, प्र0क्र0 353/06-07 में दिनांक 4.2.08 को पारित किया गया ।

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के तथ्य:

संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम भाजन रकबा तहसील सिरमौर जिला रीवा स्थित सर्वे न. 129 रकबा 0.22 एकड़ पर वर्ष 99-2000 से 2003-04 तक शासकीय रिकार्ड में आवेदक राजमणी व अनावेदक क्र.3-4 के पिता रामस्वरूप बहैसियत भूमिस्वामी कालम न.3 में दर्ज थे।

हल्का पटवारी द्वारा बगैर सक्षम पदाधिकारी आदेश के नामान्तरण पंजी में आवेदक राजमणी के स्थान पर अनावेदक क्र.4 रामबहादुर का नाम दर्ज कर दिया व आगे इसी क्रम में रामबहादुर के बाद अनावेदक देवकरण का नाम खसरे में दर्ज किया गया ।

ओ0 पी0 सिंह
एडवोकेट
हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ग्वालियर

-----2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला –रीवा

प्रकरण कमांक निग0 297–तीन/2008

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20 – 7–2016	निगरानीकर्ता राजमणी पुत्र अयोध्या प्रसाद की मृत्यु दिनांक 27.06.15 को पश्चात् उनके वारिसान को आदेश दिनांक 09.06.16 के अनुसार संसोधित कर राजस्व अभिलेख पर लिया गया तथा उनके द्वारा अपर कमिश्नर रीवा के आदेश दिनांक 04.02.2008 के विरूद्ध निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता राजमणी द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 114/115 के तहत आवेदन पत्र नामांतरण निरस्त कर खसरा सुधार किये जाने बावत प्रस्तुत किया गया । जिस पर दिनांक 21.04.05 को आदेश पारित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधकारी के न्यायालय में अपील पेश की गई, जो दिनांक 20.12.06 के तहत निरस्त कर दी गई । इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के यहां प्रस्तुत किया गया । आदेश दिनांक 04.02.08 के तहत अपील स्वीकार की गई । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 04.02.08 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।	

3/ मैंने उपरोक्त आदेश एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये ।

4/ ग्राम भाजन रकसा तहसील सिरमौर जिला–रीवा स्थित प्रश्नाधीन भूमि जिसका सर्वे नं0 129 रकबा 0.22 एकड़ पर वर्ष 1999–2000 से 2003–04 तक शासकीय रिकार्ड में आवेदक राजमणी व अनावेदक 3–4 के पिता रामस्वरूप वहैसियत भूमिस्वामी कालम नं0 3 में दर्ज थे । हल्का पटवारी द्वारा त्रुटिवश नामांतरण पंजी में आवेदक राजमणी के स्थान पर अनावेदक क्र0 4 का नाम दर्ज कर दिया गया। इसी क्रम में रामबहादुर के बाद अनावेदक देवकरण का नाम खसरे में दर्ज किया गया । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में खसरा सुधार हेतु आवेदन पेश किया गया । जिस पर प्र0क्र0 15/04–05 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । विधिवत रूप से सूचना–पत्र जारी कर सुनवाई की गई । अनावेदक बावजूद सूचना उपरांत अनुपस्थित रहें । अनावेदकों की अनुपस्थिति के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई । किन्तु अनावेदक इस आदेश से दुखित हुये और इसके विरूद्ध उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील पेश की गई, जहां अपील निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 21.04.05 स्थिर रखा है । किन्तु अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर अपील स्वीकार किया गया ।।

5/ अपर आयुक्त का आदेश विधि–विधान के विपरीत, मानमाना व क्षेत्राधिकार बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपर आयुक्त द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया कि वर्ष 1999–2000 से 2003–04 तक आवेदक का नाम सर्वे नं0 129 रकबा 0.22 पर वहैसियत भूमि स्वामी खसरा खाना नं0 3 में दर्ज था । शासकीय रिकार्ड को दुरूस्त रखना तहसील न्यायालय का कानूनी दायित्व है । जिसे अधिनियम की धारा 115 के तहत दुरूस्त करना उनकी अधिकारिता में शामिल है । इसका इस्तेमाल स्वविवेक से किया जा सकता है । अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के आदेश में सिर्फ प्रक्रिया सम्बन्धी गलतियां निकाली गई है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है । तहसीदार द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर गुण–दोषों के आधार पर आदेश पारित करें।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य